पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 22.9.17

मि.न.157 / 17

सरकार बनाम रतिराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपालपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 रकबा 61.84 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी में से 0.50 है0 पर रतिराम पुत्र भगवाना जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । कोई जबाब पेश नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल रतिराम पुत्र भगवाना जाति गुर्जर निवासी गोपलपुरा द्वारा वाके ग्राम गोपलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 / 61.84 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 0.50 है0 पर जोत कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः रतिराम पुत्र भगवाना जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा निवासी गोपलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 455 / 61.84 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.50है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 1. 00का पचास गुणा 50 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 22.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

17-1-18 के पा० सं०
पृष्ठ संख्या 92 पर 5029
किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली